संख्या–39 / 49–3–2018 / 100(43) / 2017

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग–3

लखनऊ : दिनांक : 12 फरवरी, 2018.

विषय : वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–18 के अधीन विभिन्न लेखा / उप लेखाशीर्षकों, मानक मदों में अनुपूरक मॉग के माध्यम से प्राप्त धनराशियों की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–528 / लेखा–अ / 17–18, दिनांक 08 जनवरी, 2018 के संदर्भ में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–8 / 2017 / बी–1–1190 / दस–2017–231 / 2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 एवं शासनादेश संख्या–12 / 2017 / बी–1–1455 / दस–2017–231 / 2017, दिनांक 20 नवम्बर, 2017 तथा शासनादेश संख्या–20 / 2017 / बी–1–1775 / दस–2017–244 / 2017, दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–18 के अधीन अनपूरक मॉग के माध्यम से प्राप्त धनराशि लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता 001–निदेशन तथा प्रशासन 03–सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण 02–मजदूरी के मद में रू0 3.50 लाख तथा 09–विद्युत देय मद हेतु रू0 31.00 लाख, योग–03 मतदेय हेतु रू0 34.50 लाख तथा उप लेखाशीर्षक 06–उ0प्र0 सहकारी संस्थागत सेवामण्डल, 01–वेतन मद में रू0 11.62 लाख, 06–अन्य भत्ते मद हेतु रू0 1.20 लाख, योग–रू0 12.82 लाख कुल योग–2425–001 राजस्व मतदेय मद में रू0 47.32 लाख की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिनके लिये स्वीकृति प्रदान की जा रही है तथा सक्षम प्राधिकारी / शासन की स्वीकृति के बिना उसे अन्य मदों पर कदापि व्यय नहीं किया जायेगा।

(2) इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा व्यय के स्थायी आदेशो के अंतर्गत राज्य सरकार / केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, ऐसे मामलों में व्यय करने की पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(3) विभिन्न योजनाओं और सेवाओं की वित्तीय स्वीकृतियां यथा सम्भव एक बार में ही जारी की जाये, परन्तु स्वीकृत धनराशि के एकमुश्त आहरण की यथासंभव अनुमति न दी जाय।

(4) वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–8/2017/बी–1–1190/दस–2017–231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 एवं शासनादेश संख्या–12/2017/बी–1–1455/दस–2017–231/2017, दिनांक 20 नवम्बर, 2017 तथा शासनादेश संख्या–20/2017/बी–1–1775/ दस–2017–244 / 2017, दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 में प्रदत्त निर्देशों का कड़ाई पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) कार्यालय ज्ञाप संख्या–8/2017/बी–1–1190/दस–2017–231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी, (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तो का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि वह सम्पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन को तुरन्त दे।

(6) आवंटन के सापेक्ष व्यय विवरण की मासिक सूचनायें वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी समय से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(7) मितव्ययिता सम्बन्धी समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2– उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुपूरक मॉग के माध्यम से प्राप्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–18 के अधीन लेखाशीर्षक "2425–001 राजस्व मतदेय सहकारिता के अंतर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

मो0 जुनीद
विशेष सचिव।

संख्या–39(1)/49–3–2018–100(13)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा–परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ।
5– वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ।
6– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन।
7– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।
8– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
9– सहकारिता अनुभाग–1.
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या–39 / 49–3–2018–100(43) / 2017, दिनांक ::12 फरवरी, 2018 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक		अनुपूरक मॉग के माध्यम से प्राप्त धनराशि वर्ष 2017–18
1	2	3
2425–	सहकारिता	
001–	निदेशन तथा प्रशासन	
03–	सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण	
02–	मजदूरी	3.50
09–	विद्युत देय	31.00
	योग–03 मतदेय	**34.50**
06–	**उ0प्र0 सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल**	
01–	वेतन	11.62
06–	अन्य भत्ते	1.20
	योग–06	**12.82**
	कुल योग–2425–001–राजस्व मतदेय	**47.32**

(अशोक कुमार)
अनु सचिव।